

श्रीमति शान्तादेवी बनाम जवानाराम अपील सं 5/17

26-11-19

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थ के वकील  
उपरोक्त वकील अपीलार्थ द्वारा विचारधीन  
अपील पर Not Press करते हुए कथन किया  
है, कि इस अपील को आगे नहीं चलाया  
चाहते हैं अतः इस अपील के वकील अपीलार्थ  
द्वारा Not Press किये जाने के आधार  
पर खारिज किया है। पत्रावली फैसलें शुमार  
होकर नम्बर से क्रम हो।

निर्णय सुनाया गया।

जिला कलेक्टर, जालौर

Not Press

4/17

अपील